रा ब सं
जनसेवा में 50 वर्षों से अधिक
NSI
Over 50 Years in Service of People

मासिक प्रकाशन | Monthly Publication

जून 2006 (अंक 158) | June 2006 (Issue 158)

मानननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम नई दिल्ली में 30 मई 2006 को राष्ट्रीय बचत संस्थान, वित्त मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट का शुभारंभ करते हुए दिखाई दे रहे है। साथ ही बायें से दायें – श्री आदर्श किशोर आई.ए.एस. सचिव (वित्त), श्री पवन कुमार बंसल, माननीय वित्त राज्य मंत्री, श्री अशोक झा, आई.ए.एस. सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) और श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, डिप्टी गवर्नर आर.बी.आई. भी दिखाई दे रहे है।

राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाईट का माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा शुभारंभ

माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने नई दिल्ली में दि. 30 मई 2006 को आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाईट का शुभारंभ किया। इस वेबसाईट का उद्देश्य अल्प बचत के क्षेत्र में ई-गर्वनेन्स के प्लेटफॉर्म पर जनसाधारण से सरकार का सीधा संवाद स्थापित करना है। इस वेबसाईट को *http://nsiindia.gov.in.* के नाम से देखा जा सकता है। इस वेबसाईट का निर्माण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा किया गया है। इसका मूल उद्देश्य सूचना के प्रवाह को जनसाधारण तक पहुँचाना तथा विभिन्न अल्प बचत योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतों का 'आन लाइन निवारण' करना है। यह वेबसाईट एजेन्सी और वितरण माध्यमों, उत्पादों की जानकारी देने और शिकायत के निराकारण हेतु आनलाईन प्रबंधन की एकल खिडकी योजना है। इस वेबसाईट में जमाकर्ताओं के प्रयोग में आनेवाले विभिन्न प्रपत्रों की वेबसाईट से डाउनलोड करने की सुविधा है।

श्री अशोक झा, आई.ए.एस. सचिव आर्थिक कार्य विभाग ने राष्ट्रीय बचत संस्थान की वर्ष 2005-06 की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और वेबसाईट के बारे में मुख्य बातें बताई। अत: कार्यक्रम में माननीय राज्य वित्त मंत्री, सचिव (वित्त), सचिव (राजस्व), सचिव (बैंकिंग) आर.बी.आई के डिप्टी गवर्नर, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय बचत संस्थान के निदेशक/संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, महानिदेशक एन.आई.सी. एवं अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के अंत में श्रीमती एल.एम.वास, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव (बजट), वित्त मंत्रालय (आ.का.वि.) ने मीडिया के लोगों से बातचीत की एवं उनके द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया।

श्रीमती एल.एम. वास, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव (बजट), वित्त मंत्रालय, (आ.का.वि.) नई दिल्ली में 30 मई 2006 को राष्ट्रीय बचत संस्थान के वेबसाईट के शुभारंभ के बाद मीडिया के लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही (बायें से दायें) श्री बी.एस. चौहान, निदेशक, जन सम्पर्क, वित्त मंत्रालय, श्रीमती अनुराधा प्रसाद, निदेशक (बजट) वित्त मंत्रालय, श्री अनिल भट्टाचार्या, राष्ट्रीय बचत संस्थान के विभागाध्यक्ष भी दिखाई दे रहे है।

राष्ट्रीय बचत संस्थान के वेबसाईट की मुख्य विशेषताएँ।

राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाईट http:/nsiindia.gov.in शिकायतों एवं उसके निराकरण की एकल खिड़की प्रक्रिया है। लोगो द्वारा देश के किसी भी भाग से राष्ट्रीय बचत संस्थान के वेबसाईट पर प्रश्न या शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और एक विशिष्ट कोड संख्या के आधार पर अद्यतन वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रा ब. संस्थान के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय ऐसी सभी शिकायतों और प्रश्नों का समाधान/निवारण राज्य सरकारो, डाक विभाग अथवा बैंकों से समुचित संबंध स्थापित कर उपलब्ध करायेंगे और उनका उत्तर ई-मेल या डाक द्वारा ग्राहकों के मांग के अनुरूप उन्हें भेजेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों को प्राप्त आनलाईन प्रश्न एवं शिकायत आन लाइन प्रणाली पर स्थानांतरित कर सकते है और संस्थान द्वारा इसका अनुश्रवण किया जा सकता है।

इस वेबसाईट के दो मुख्य अंश है स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक भाग के अन्तर्गत रा. ब. संस्थान से संबंधित विभिन्न तथ्य जैसे; रा. ब. संस्थान क्या है – मिशन एवं विजन, संगठनात्मक चार्ट, मुख्यालय एवं केन्द्रों के पते, बचत का इतिहास, प्रशिक्षण और विकास; डायनामिक भाग के अन्तर्गत आनलाईन प्रक्रिया के प्रयोग के प्रक्रियात्मक पहल, निवारण प्रक्रिया की समयावधि, विभिन्न रिपोर्टो का सृजन (राज्यवार/जिलावार) एवं निवारण की स्थिति शामिल है। यह वेबसाईट निवेशक, अभिकर्ताओं को आसानी से सूचना उपलब्ध करायेगी और इससे निवारण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

श्री सुर्यकांत ढोके प्रधान प्रणाली विश्लेषक एन आय सी नागपुर, राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाईट के क्रियान्वयन का प्रदर्शन करते

श्रीमती एल.एम. वास, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव (बजट), वित्त मंत्रालय, (आ.का.वि.) और श्रीमती अनुराधा प्रसाद, निदेशक (बजट), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में 30 मई 2006 को राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाईट का शुभारंभ के उपरांत राष्ट्रीय बचत संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दिखाई दे रही है।

राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा निवेशकों के शिकायतों केनिवारण हेतु समस्त राज्यों में समन्वय समिति का गठन

राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा राज्य सरकारों, वितरण माध्यमों, अधिकर्ताओं से संबंधित मामलों और शिकायतो के निवारण हेतु सभी राज्यों में समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समन्वय समिति का अध्यक्ष उस क्षेत्र के क्षेत्रीय केन्द्र का क्षेत्रीय निदेशक होगा। जिसमें राज्य सरकार, डाक विभाग बैंक और अभिकर्ताओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार होगी और क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा वर्ष 06-07 के दौरान प्रत्येक राज्य में 3 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। निवेशकों के शिकायतों को समझने एवं उसके निराकरण के लिए क्षेत्रीय निदेशकों ने सप्ताह का एक दिन और समय निर्धारित किया है और क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र के मुख्यालय में इसके लिए सप्ताह में 3 दिन का समय देंगे। क्षेत्रीय निदेशक उन राज्यों में जहाँ राष्ट्रीय बचत संस्थान के केन्द्र नहीं है, निवेशकों के शिकायतों एवं उनके प्रश्नों के निवारण के लिए राज्य की राजधानियों में दो माह में एक बार दौरा करेंगे।

क्षेत्रीय निदेशक राज्य में जिस दिन दौरा करेंगे उसके समय एवं तिथि के संबंध में स्थानीय प्रचार माध्यमों से एवं बैंक एवं पोस्ट आफिस में नोटिस बोर्ड के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा। राज्य में समन्वय समिति के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए सबंधित राज्य सरकारे पुरा सहयोग देंगी। निवेशकों के शिकायतों के अलावा विभिन्न मामलों पर जिसे राष्ट्रीय बचत उत्पादों और संबंधित फार्म की उपलब्धता, रसीद बुक, वितरण माध्यम आदि पर भी चर्चा होगी।